

भारत-UAE नविश संबंधों में मज़बूती

स्रोत: पी.आई.बी

भारत-यूएई द्विपक्षीय नविश संधि (BIT) के अंतर्गत भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के नविशकों के लिये स्थानीय समाधान की समापन अवधि (Exhaustion Period) को पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया है।

- BIT, 31 अगस्त 2024 को लागू हो गया, जिससे पूर्ववर्ती द्विपक्षीय नविश संरक्षण एवं संरक्षण समझौते (BIPPA) के समापन के पश्चात् नविश संरक्षण की नरिंतरता सुनिश्चिती हो गई।
 - BIT, न्यूनतम उपचार मानकों (नविपक्ष और न्यायसंगत) और विवाद समाधान हेतु स्वतंत्र मध्यस्थता का आश्वासन देता है।
 - स्थानीय समाधान की समापन अवधि वह समय सीमा है, जिसके दौरान नविशक को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की मांग करने से पूर्व मेज़बान देश की वधिकि प्रणाली के माध्यम से विवाद को सुलझाने का प्रयास करना चाहिये।
- एक अन्य घटनाक्रम में, अबू धाबी नविश प्राधिकरण (ADIA) ने भारत में अपनी नविश संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिये गफिट सर्टि में एक कार्यालय खोला है।
 - UAE भारत में सबसे बड़ा अरब नविशक है, जिसका वित्त वर्ष 2023-24 में नविश लगभग 3 बलियन अमेरिकी डॉलर होगा।
 - वित्त वर्ष 2023-24 के लिये UAE छठा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष वदिशी नविश (FDI) स्रोत था, जो वर्ष 2000 के पश्चात् से कुल मलिकर सातवाँ सबसे बड़ा स्रोत था।
 - भारत में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के कुल नविश का 70% से अधिकि भाग संयुक्त अरब अमीरात से आता है।
- इसके अतरिकित, भारत और UAE, संयुक्त अरब अमीरात की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और भारतीय कसिानों को समर्थन देने के लिये 2 बलियन अमेरिकी डॉलर के फूड कॉरिडोर की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) और BIT, UAE के व्यवसायों के लिये शुल्क मुक्त पहुँच और एक स्थरि नविश वातावरण सुनिश्चिती करेंगे।

और पढ़ें: भारत-UAE संबंध